

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी-3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी-स्कीम, जयपुर।

टेलीफैक्स :- 0141-2222403.

ई-मेल-dlbrajasthan@gmail.com

वेब साईट-www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक :- एफ 55( )Engg./CE/DLB/SBM/20/ 7213

दिनांक :- 08/12/2020

आदेश

समस्त निकायों में सीवर एवं सेप्टिक टैंक के सफाई कार्य में मानवीय उपयोग निषेध मानते हुए यह कार्य आधुनिक मशीनों एवं सुरक्षा उपकरणों के साथ करने हेतु व नियमित सफाई और अनुरक्षण, अधिकतम यांत्रिकरण, निर्धारित नियमों और मानक संचालन प्रक्रिया द्वारा किया जाना सुनिश्चित करने हेतु सभी निकाय अपने स्तर पर **Emergency Response Sanitation Unit (ERSU)** का गठन करना सुनिश्चित करें। ERSU का गठन निम्न अधिकारियों/कर्मचारियों के संयोजन से किया जाये:-

क्र.सं.	नगर निगम	नगर परिषद्	नगर पालिका
1.	उपायुक्त सेनिटेशन/स्वास्थ्य	आयुक्त	अधिषाशी अधिकारी
2.	अधिषाशी अभियंता	अधिषाशी अभियंता	
3.	सहायक अभियंता (पर्यावरण)	सहायक अभियंता	सहायक अभियंता/कनिष्ठ अभियंता
4.	कनिष्ठ अभियंता	कनिष्ठ अभियंता	
5.	मुख्य सैनिटरी इन्सपेक्टर /सैनिटरी इन्सपेक्टर	मुख्य सैनिटरी इन्सपेक्टर /सैनिटरी इन्सपेक्टर	सैनिटरी इन्सपेक्टर

उक्त ERSU में नगर परिषद् स्तर तक सहायक अभियंता (पर्यावरण) को संयोजक प्राथमिकता दी जायें। उक्त ERSU में कनिष्ठ अभियंता एवं सैनिटरी इन्सपेक्टर की संख्या निकाय की जनसंख्या के अनुरूप निकाय स्तर पर तय की जायें।

समस्त निकाय दिनांक 15.12.2020 तक निर्देशानुसार ERSU का गठन कर निदेशालय को अवगत करवाना सुनिश्चित करें।

(दीपक नन्दी)

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

दिनांक :- 08/12/2020

क्रमांक :- एफ 55( )Engg./CE/DLB/SBM/20/ 7214-437

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सहायक, मुख्य अभियंता, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
4. उपनिदेशक (क्षेत्रीय) समस्त, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. आयुक्त/अधिषाशी अधिकारी, नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पालिका समस्त राजस्थान।
6. सुरक्षित पत्रावली।

मुख्य अभियंता